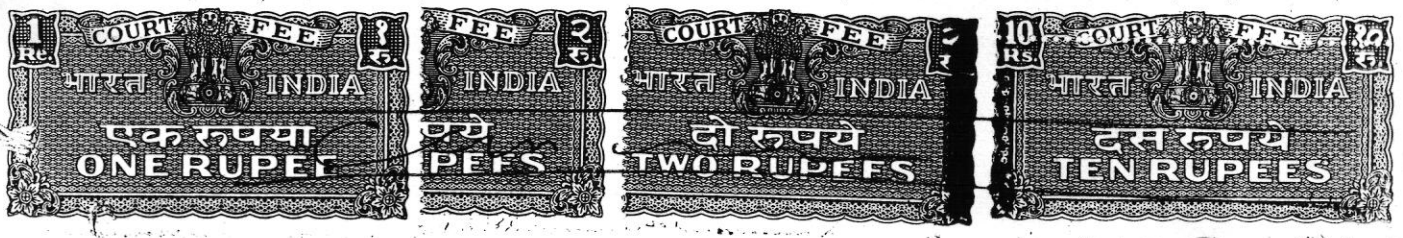

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE — दो रुपये TWO RUPEES — दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्रं. /08 पुनरीक्षण

R 1258 - II/08

मुस. सरमनियां पत्नी मईयादीन ब्रा.
निवासी ग्राम पंचमनगर तह. लौडी
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... आवेदिका

विरूद्ध

1. मुस. हरकुंवर पत्नी राकेश कुमार ब्रा.
2. भैयाराम बाजपेयी पुत्र प्रभुदयाल बाजपेयी
3. चंदन बाई पुत्री हजारी लाल ब्रा.

निवासीगण ग्राम टिकरी, तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय : अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर द्वारा प्र.क. 266/बी–121/07–08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.9.08 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदिका का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

<u>संक्षिप्त तथ्य</u>

1. यह कि, टिकरी तहसील राजगनर जिला छतरपुर के आराजी खसरा नम्बर 361, 464, 463, 474, 470, 474, 439, 440, 441 लगायत 455 कुल किता 20 रकबा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1258-दो/2008 जिला छतरपुर सरमनिया विरूद्ध हरकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-08-2018	1. प्रकरण में दिनांक 24-08-2018 को उभयपक्षों के अधिवक्ता, आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव व अनावेदक क्रमांक (1) व (3) की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी व क्रमांक (2) की ओर से श्री आर.डी. शर्मा को ग्राह्यता के प्रश्न पर सुना गया । 2. अपर आयुक्त सागर के निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-09-2008 के विरूद्ध निगरानी वर्ष 2008 में इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । मेरे द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 30-09-2008, अपर कलेक्टर का प्रकरण क्रमांक 43 धारा 30/बी-121 की आदेश पंजिका दिनांक 11-09-2007 आदेश दिनांक 25-01-2008 एवं अतिरिक्त तहसीलदार छतरपुर का प्रकरण क्रमांक 622 बी-121/2006-07 की आदेश पंजिका दिनांक 19-09-2007, 08-10-2007 का अवलोकन किया । 3. भू.रा. संहिता 1959 में अपर आयुक्त के द्वारा निगरानी में पारित आदेश के विरूद्ध पुन: निगरानी सुनने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों की आदेश पत्रिकाओं के अनुसार अपर कलेक्टर ने दिनांक 11-09-2007 को भैयाराम बाजपेयी के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 30 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को सुनवाई हेतु ग्राह्य कर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया था एवं प्रकरण में आगामी तिथि 27-10-2007 नियत की । उक्त आदेश की जानकारी अतिरिक्त तहसीलदार को दिनांक19-09-2007 को हो गयी थी एवं उनकी आदेश पत्रिका दिनांक 19-09-2007 के अनुसार प्रकरण अपर कलेक्टर को भेजने हेतु आदेश भी किया । 4. अपर कलेक्टर छतरपुर को सरमनिया ने दिनांक 06-10-2007 को एक आवेदन देकर विभिन्न वरिष्ठ न्यायालयों के आदेशों	

1/2

पर तत्काल कार्यवाही कर राजस्व अभिलेखों के आदेशों में अमल हेतु अनुरोध किया । अपर कलेक्टर ने दिनांक 06-10-2007 को ही आवेदन पर निम्न टीप अंकित की ।

" वरिष्ठ न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही करें ।"

5. अपर कलेक्टर का उक्त आदेश प्रशासकीय था, जबकि दिनांक 11-09-2007 को भू.रा. संहिता 1959की धारा 30 के अंतर्गत राजस्व प्रकरण के अंतर्गत अपर कलेक्टर ने आदेश दिया था । अतिरिक्त तहसीलदार ने अपर कलेक्टर के दिनांक 11-09-2007 के न्यायालयीन आदेश को नजर अंदाज करते हुए उनके 06-10-2007 के प्रशासकीय निर्देश/टीप के आधार पर दिनांक 08-10-2007 को आदेश पत्रिका पर आदेश हेतु नियत किया एवं दिनांक 09-10-2007 को अंतिम आदेश पारित कर दिया ।

6. चूंकि अपर कलेक्टर के यहां धारा 30 अंतर्गत अंतरण के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन था, तब अतिरिक्त तहसीलदार को अपर कलेक्टर के प्रशासनिक आदेश पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी एवं अभिलेख अपर कलेक्टर को उनकी मांग अनुसार भेज देना चाहिए था, लेकिन उनके द्वारा ऐसा न कर अंतिम आदेश पारित करने वाला आदेश दिनांक 09-10-2007 स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है । अत: अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 25-01-2008 जिसके द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार का आदेश दिनांक 09-10-2007 निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित (Remand) किया है । अपर आयुक्त सागर के द्वारा निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-09-2008 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने के कारण निगरानी आवेदन प्रचलन योग्य नहीं पाया जाता है एवं निगरानी आवेदन अग्राह्य किया जाता है ।

2/2

सदस्य 24/8/18